[2021] 10 एस. सी. आर. 82

गारग बिल्डर

बानाम

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 6216)

04 अक्टूबर, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 31 (7) (ए)-पेंडेंट

पुरस्कार राशि पर लघु ब्याज-पूर्व-संदर्भ विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज के लिए अनुबंध दावे में ब्याज को छोड़कर खंड-आयोजित: यह एस से स्पष्ट है। 31 (7) (ए) कि यदि अनुबंध पूर्व प्रतिबंधित करता है

संदर्भ और लम्बित ब्याज, मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है-तत्काल मामले में, ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है-यह अभिव्यक्ति का उपयोग करता है "कोई भी नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय धन-इसलिए, मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज-ब्याज देने के लिए खुला नहीं है। -

अनुबंध अधिनियम, 1872 - एस. 28.

अनुबंध अधिनियम, 1872: एस. 28 ब्याज निषेध खंड-चाहे

ब्याज के भुगतान को रोकने वाला अनुबंध पक्षों के अधिकारों को समाप्त कर देता है और इसलिए, एस के संदर्भ में। 28 अनुबंध का

अधिनियम, 1872-आयोजित: एस के प्रावधान। 3 (3) ब्याज अधिनियम, 1978 स्पष्ट रूप से पक्षों को ब्याज के अपने दावे को माफ करने की अनुमति देता है।

एक समझौते का - धारा 3 (3) (क) (ii) में कहा गया है कि ब्याज अधिनियम ऐसा नहीं करेगा -

उन स्थितियों पर लागू होता है जहां ब्याज का भुगतान "एक स्पष्ट समझौते के आधार पर वर्जित है"-इस प्रकार, जब पक्षों को ब्याज प्राप्त करने से अनुबंध करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक अनुमति होती है और

उन्होंने स्वतंत्र सहमति के किसी भी उल्लंघन के बिना ऐसा किया है, मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज देने के लिए यह खुला नहीं है-इस प्रकार, अनुबंध का ब्याज प्रतिबंध खंड एस के संदर्भ में अधिकार से बाहर नहीं है। 28 अनुबंध अधिनियम, 1872-ब्याज अधिनियम, 1978।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. 1996 के अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि हैं।

पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध का महत्व और स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ की पूर्व संदर्भ और विचाराधीन ब्याज देने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है जब पक्षकार स्वयं इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं। धारा 31 (7) (ए) से यह स्पष्ट है कि

यदि अनुबंध पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। में वर्तमान मामले में, ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है। यह नियोक्ता द्वारा "ठेकेदार को देय कोई भी धन" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जिसमें मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि शामिल है। [पैरा 10 और 11] [87-ई-एफ, एच; 88-ए]

सईद अहमद और कंपनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) 12 एससीसी 26: [2009] 10 एस. सी. आर. 841; श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम। डिवीजनल रेलवे

प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य। (2010) 8 एससीसी 767: [2010] 10 एस. सी. आर. 487; भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम। ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड (2015) 5 एस. सी. सी. 718; श्री चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी

611 : [2017] 11 एस. सी. आर. 722-पर निर्भर।

अम्बिका कंस्ट्रक्शन वी. भारत संघ (2017) 14 एस. सी. सी. 323; रवीची एंड कंपनी बनाम। भारत संघ (2018) 7 एससीसी 664: [2018] 5 एस. सी. आर. 138-लागू नहीं होता है।

2.1 क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के संदर्भ में अनुबंध (ब्याज निषेध खंड) का खंड 17 अधिकार से बाहर है। धारा 28 के अनुसार, एक अनुबंध इस हद तक अमान्य है कि यह एक पक्ष को सामान्य रूप से अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

साधारण न्यायालयों में कार्यवाही या यदि यह उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। इस धारा के अपवाद I में एक नियम है कि एक अनुबंध

जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हैं कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है या जो किसी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, उसे संदर्भित किया जाएगा

मध्यस्थता अवैध नहीं है। धारा 28 का अपवाद I उन अनुबंधों को बचाता है जहां उचित राहत के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है प्रतिबंधित लेकिन जहां पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक वैध समझौते को अदालतों में जाने से पहले एक शर्त पूर्ववर्ती बनाया जा सकता है और यह धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है। कार्रवाई का कोई कारण तब तक अर्जित नहीं होता है जब तक कि मध्यस्थ निर्णय नहीं दे देता है और इस तरह के मध्यस्थता में दी गई एकमात्र राशि इस तरह से निर्दिष्ट विवाद के संबंध में वसूली योग्य है। 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) जो पक्षों को ब्याज के किसी भी दावे को माफ करने की अनुमति देती है, जिसमें शामिल हैं -

विचाराधीन राशि और ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति पक्षों के समझौते के अधीन है। [पारस 19,20] [89-एफ-जी; 90-बी-सी] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.2 ब्याज भुगतान सामान्य रूप से नियंत्रित होते हैं -

ब्याज अधिनियम, 1978 उन विशिष्ट कानूनों के अलावा जो किसी विवादित मामले को नियंत्रित करते हैं। ब्याज अधिनियम की धारा 2 (ए) एक "न्यायालय" को परिभाषित करती है जिसमें एक न्यायाधिकरण और एक मध्यस्थ दोनों शामिल हैं। बदले में, धारा 3 एक "न्यायालय" को विभिन्न मामलों में प्रचलित ब्याज दरों पर ब्याज देने की अनुमति देती है। ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3 (3) के प्रावधान स्पष्ट रूप से पक्षों को एक समझौते के आधार पर ब्याज पर अपने दावे को माफ करने की अनुमति देते हैं। धारा 3 (3) (ए) (ii) में कहा गया है कि ब्याज अधिनियम उन स्थितियों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान किया जाता है।

ब्याज "एक स्पष्ट समझौते के आधार पर वर्जित" है। इस प्रकार,

जब पक्षकारों के लिए ब्याज प्राप्त करने से अनुबंध करने की एक स्पष्ट वैधानिक अनुमति है और उन्होंने स्वतंत्र सहमति के किसी भी उल्लंघन के बिना ऐसा किया है, तो मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज देने के लिए यह खुला नहीं है। [पैरा 21 और 22] [90-डी-एफ]

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

(2017) 14 एससीसी 323

पैरा 8

[2018] 5 एससीआर 138

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 8

[2009] 10 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2010] 10 एससीआर 487

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(2015) 5 एस. सी. सी. 718

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2017] 11 एससीआर 722

पैरा 15

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6216

2021 .

उच्च न्यायालय के 19.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) No.120 में नई दिल्ली में।

संजय बंसल, विनीत भगत, सुश्री मंजू भगत, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

पल्लव कुमार, सुश्री दिव्या निशांत, अभिषेक, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

गारग बिल्डर्स बनाम। भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

2. यह अपील एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित 19.09.2017 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. प्रतिवादी ने बवाना में अपनी 2x750 मेगावाट की प्रगति III कंबाइंड साइकिल पावर में चारदीवारी के निर्माण के लिए एक निविदा जारी की। दिल्ली (इसके बाद 'परियोजना' के रूप में संदर्भित)। अपीलार्थी ने परियोजना के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया। जिसके अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दिनांक 09.09.2008 पर एक आशय पत्र (एल. ओ. आई.) जारी किया। इसके बाद, 24.10.2008 पर पक्षों ने एक अनुबंध किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज प्रतिबंध खंड शामिल था जिसे यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है:

" खंड 17: बी. एच. ई. एल. द्वारा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, प्रतिभूति जमा या किसी भी धन पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ठेकेदार "।

4. उपरोक्त अनुबंध के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और बाद में अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "1996 अधिनियम") की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने 16.09.2011 के आदेश के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति एम. ए. खान (सेवानिवृत्त) को विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। दावा याचिका में अपीलार्थी ने विभिन्न शीर्षों के तहत विभिन्न राशियों का दावा करने के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ पुरस्कार के मूल्य पर 24 प्रतिशत की दर से पूर्व-संदर्भ, विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज का दावा किया। विद्वान मध्यस्थ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पूर्व-वाद, विचाराधीन राशि और भविष्य की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के बारे में दिनांकित 24.10.2008 और दिनांकित 09.09.2010 के अनुबंध में कोई निषेध नहीं है। इसलिए, उन्होंने दावा याचिका दायर करने की तारीख से अधिनिर्णय राशि की प्राप्ति की तारीख तक अधिनिर्णय राशि पर अपीलार्थी को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज प्रदान किया।

5. प्रतिवादी ने ओ. एम. पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त पुरस्कार को चुनौती दी। (COMM.) 28/2017

विभिन्न आधारों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता समझौते का हिस्सा होने के नाते पुरस्कार राशि पर लंबित ब्याज देने में अनुबंध की शर्तों से परे यात्रा की क्योंकि अनुबंध के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से वर्जित था।

एकल न्यायाधीश ने अपने अंतिम निर्णय और दिनांक 10.03.2017 के आदेश को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" मध्यस्थ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उपरोक्त खंड में केवल पूर्व-संदर्भ ब्याज निर्धारित किया गया है, न कि लंबित ब्याज।

ब्याज। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की निर्णय पूर्व ब्याज देने की शक्ति है -

पक्ष इसके विपरीत सहमत नहीं हैं। पुरस्कार-पूर्व ब्याज में पूर्व-संदर्भ ब्याज के साथ-साथ लटकता हुआ ब्याज भी शामिल है। इस प्रकार, मध्यस्थ का निष्कर्ष कि

विचाराधीन लघु ब्याज के खंड 17 द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था

समझौता टिकाऊ नहीं है।

तदनुसार, के पुरस्कार की सीमा तक विवादित पुरस्कार

पेंडेंट लाइट ब्याज अलग रखा जाता है। याचिका का निपटारा कर दिया गया है। नहीं।

लागत के बारे में आदेश "।

6. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है।

विवादित आदेश।

7. 03.07.2018 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए नोटिस जारी किया:

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम में इस न्यायालय के एक आदेश पर भरोसा किया है। भारत संघ, (2017) 14

एससीसी 323 "।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री संजय बंसल ने तर्क दिया कि विद्वान मध्यस्थ ने अनुबंध के खंड 17 के संदर्भ में एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण अपनाया था और कहा कि उक्त खंड लंबित अवधि के लिए ब्याज के भुगतान पर रोक नहीं लगाता है। यह तर्क अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए आगे बढ़ाया गया था। भारत संघ 1, जिसमें अपीलार्थी विचाराधीन अवधि के लिए ब्याज के भुगतान का हकदार था। उन्होंने रवीची एंड कंपनी बनाम में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया है। उनकी दलीलों के समर्थन में भारत संघ 2। इसके अलावा, विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध का खंड 17 ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है

ठेकेदार को देय किसी भी राशि पर ठेकेदार अधिकार से बाहर है और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के प्रावधानों के खिलाफ है।

1 (2017) 14 एससीसी 323

2 (2018) 7 एस. सी. सी. 664 गारग बिल्डर बनाम।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री पल्लव कुमार ने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) में कहा गया है कि पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के लिए सर्वोपरि महत्व और स्पष्ट रूप से पूर्व निर्णय देने के लिए एक मध्यस्थ की शक्ति को प्रतिबंधित करता है।

संदर्भ और लंबित ब्याज जब पक्ष स्वयं इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अनुबंध में ही एक विशिष्ट खंड है जो स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, तो मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज देने का अधिकार नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया कि अम्बिका निर्माण (उपर्युक्त) तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत किया गया था, जबकि तत्काल मामला 1996 के अधिनियम के तहत आता है। आगे यह तर्क दिया गया कि ब्याज अधिनियम की धारा 3 न्यायालय को किसी भी ऋण या नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही में ब्याज की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है या ऐसी कार्यवाही में जिसमें पहले से ही किसी भी ऋण या नुकसान के संबंध में ब्याज का दावा किया जाता है।

भुगतान किया। हालांकि, ब्याज अधिनियम की धारा 3 (3) एक अपवाद तैयार करती है और किसी भी ऋण या नुकसान से उत्पन्न ब्याज के भुगतान से अनुबंध करने के पक्षों के अधिकार को मान्यता देती है और उन अनुबंधों को पवित्र करती है जो ऋण या नुकसान से उत्पन्न ब्याज के भुगतान को रोकते हैं। इसलिए अनुबंध का खंड 17 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। आगे की दलीलों के आलोक में, विद्वान वकील अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

10. हमने बार में दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। 1996 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ द्वारा विचाराधीन लघु ब्याज के अधिनिर्णय से संबंधित कानून अब एकीकृत नहीं है। 1996 के अधिनियम के प्रावधान पक्षों के बीच किए गए अनुबंध को सर्वोपरि महत्व देते हैं और स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ की पूर्व-संदर्भ और विचाराधीन ब्याज देने की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं जब पक्ष स्वयं इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं। 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) जो ब्याज के भुगतान से संबंधित है, निम्नानुसार है:

" 31 (7) (क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक एक मध्यस्थता पुरस्कार धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस राशि को उस राशि में शामिल कर सकता है जिसके लिए पुरस्कार ब्याज बनाया गया है, ऐसी दर

पर जो वह उचित समझे, पूरी या धन के किसी भी हिस्से पर, उस तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और तारीख

जिस पर पुरस्कार दिया जाता है।

11. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि अनुबंध पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ [2021] 10 एस. सी. आर. नहीं दे सकता है।

उक्त अवधि के लिए ब्याज। वर्तमान मामले में, ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है। यह नियोक्ता द्वारा "ठेकेदार को देय कोई भी धन" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जिसमें मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि शामिल है।

12. सईद अहमद एंड कंपनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति के संबंध में 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के तहत एक प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि अनुबंध ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है,

मध्यस्थ कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज नहीं दे सकता है।

13. श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम। मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस तारीख के बीच ब्याज का अधिनिर्णय नहीं कर सकता है जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।

14. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड 5 एक समान मामला है जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

" 16. वर्तमान मामले में हमने देखा कि ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। यह "नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि" शब्दों का उपयोग करता है। हमारी राय में, इन शब्दों को पहले के शब्दों "गंभीर" के साथ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

धन "या" प्रतिभूति जमा "।

15. श्री चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ 'यह था

स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई अनुबंध पूर्व पुरस्कार अवधि के लिए ब्याज के पुरस्कार को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है।

अम्बिका निर्माण (ऊपर) में अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील द्वारा रखे गए तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि अम्बिका निर्माण का निर्णय मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत किया गया था जबकि तत्काल मामला 1996 के अधिनियम के तहत आता है। श्री चित्तरंजन मैती (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया है: 3 (2009) 12 एससीसी 26

4 (2010) 8 एस. सी. सी. 767 5 (2015) 5 एस. सी. सी. 718

6 (2017) 9 एस. सी. सी. 611 गारग बिल्डर बनाम।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

[एस. अब्दुल नजीर, जे.]

वी. भारत संघ, (2017) 14 एस. सी. सी. 323, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज देने के लिए केवल प्रतिबंध लंबित ब्याज पर भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, मध्यस्थ को पेंडेंट लाइट ब्याज देने में उचित ठहराया गया था। हालांकि, अंबिका कंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह
मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में "1940 अधिनियम") या 1996 के अधिनियम के तहत निर्णय लिया गया था। इसने उड़ीसा राज्य बनाम में संविधान पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया है। जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508। यह निर्णय 1940 के अधिनियम के संदर्भ में था। 1940 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो मध्यस्थ को पूर्व-संदर्भ, विचाराधीन या पद के लिए ब्याज देने से रोकता हो।

पुरस्कार अवधि, जबकि 1996 के अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कहता है कि यदि समझौता पूर्व-पुरस्कार अवधि के लिए ब्याज के पुरस्कार को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। इसलिए, अंबिका निर्माण में निर्णय

(उपर्युक्त) तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

17. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा रविची एंड कंपनी (ऊपर) में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह फिर से मध्यस्थता के अधीन है।

अधिनियम 1940 जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने में उचित था

पुरस्कार राशि पर थोड़ा ब्याज देय है।

19. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या अनुबंध का खंड 17 भारतीय अनुबंध की धारा 28 के संदर्भ में अधिकार से बाहर है।

अधिनियम, 1872। धारा 28 के अनुसार, एक अनुबंध इस हद तक अमान्य है कि यह किसी पक्ष को सामान्य अदालतों में सामान्य कार्यवाही द्वारा अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है या यदि यह उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। इस धारा के अपवाद I में एक नियम है कि एक अनुबंध जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हैं कि कोई भी विवाद जो उत्पन्न हुआ है या जो किसी भी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जो अवैध नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि क्या ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाले अनुबंध पक्षों के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। धारा 28 का अपवाद 1 निम्नानुसार है:

" अपवाद 1: मध्यस्थता के लिए अनुबंध की बचत

विवाद जो उत्पन्न हो सकता है। - यह धारा किसी ऐसे अनुबंध को अवैध नहीं बनाएगी, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि कोई भी विवाद [2021] 10 एस. सी. आर.

जो किसी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और इस प्रकार निर्दिष्ट विवाद के संबंध में केवल ऐसी मध्यस्थता में दी गई राशि ही वसूली योग्य होगी।

20. धारा 28 का अपवाद I उन अनुबंधों को बचाता है जहां उचित राहत के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार प्रतिबंधित है, लेकिन जहां पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक वैध समझौते को अदालतों में जाने से पहले एक शर्त पूर्ववर्ती बनाया जा सकता है और यह धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है। नहीं।

कार्रवाई का कारण तब तक उपार्जित होता है जब तक कि मध्यस्थ निर्णय नहीं दे देता और इस तरह के मध्यस्थता में दी गई एकमात्र राशि इस प्रकार निर्दिष्ट विवाद के संबंध में वसूली योग्य

होती है। 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) जो पक्षकारों को ब्याज के किसी भी दावे को माफ करने की अनुमति देती है, जिसमें विचाराधीन राशि और

ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति पक्षों के समझौते के अधीन है।

21. यह ध्यान रखना उचित है कि ब्याज भुगतान नियंत्रित होते हैं -

एक विवादित मामले को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनों के अलावा ब्याज अधिनियम, 1978 द्वारा सामान्य। ब्याज अधिनियम की धारा 2 (ए) एक को परिभाषित करती है

" न्यायालय "जिसमें एक न्यायाधिकरण और एक मध्यस्थ दोनों शामिल हैं। बदले में, धारा 3 एक "न्यायालय" को विभिन्न मामलों में प्रचलित ब्याज दरों पर ब्याज देने की अनुमति देती है। ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3 (3) के प्रावधान स्पष्ट रूप से पक्षों को ब्याज के अपने दावे को माफ करने की अनुमति देते हैं।

समझौता। धारा 3 (3) (ए) (ii) में कहा गया है कि ब्याज अधिनियम लागू नहीं होगा।

ऐसी स्थितियों में जहां ब्याज का भुगतान "एक स्पष्ट समझौते के आधार पर वर्जित" है।

22. इस प्रकार, जब पक्षकारों के लिए ब्याज प्राप्त करने से अनुबंध करने की एक स्पष्ट वैधानिक अनुमति होती है और उन्होंने स्वतंत्र सहमति के किसी भी उल्लंघन के बिना ऐसा किया है, तो मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज देने के लिए यह खुला नहीं है। हमारी यह सुविचारित राय है कि अनुबंध का खंड 17 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के संदर्भ में अधिकार से बाहर नहीं है।

23. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पक्षों को अपनी लागत वहन करने का निर्देश देते हैं।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।